भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1771
जिसका उत्तर मंगलवार 06 मार्च, 2018 को दिया जाना है

नई ऑटोमोबाइल नीति

1771. श्री बी विनोद कुमार:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विदेशी निवेश को आकर्षित करने और इस क्षेत्रक में संलग्न कंपनियों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु नई ऑटोमोबाइल नीति बनाने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) (ख) और (ग): भारी उद्योग विभाग ने एक के बाद एक स्टेक होल्डर श्रंखला से परामर्श करने के बाद राष्ट्रीय मोटर वाहन नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया है और सभी स्टेक होल्डरों की जानकारी के लिए तथा उनकी टिप्पणियों के वास्ते इसे सार्वजनिक डोमेन (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध करवाया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय मोटर वाहन नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रस्तावित हैः-

- बीएसवीआई से अधिक उत्सर्जन मानकों के लिए एक दीर्घकालीन अवधि वाला रोडमेप अपनाना और इसे 2028 तक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाना।
- 2025 तक सीएएफई मानदंडों से बाहर आना और उसके बाद प्रोत्साहन/दंड जैसे प्रावधान।
- फैलाव और कार्बन-डाई ऑक्साइड उत्सर्जनों पर आधारित एक समग्र मानदंड को अपनाना ताकि विभिन्न कराधान प्रयोजनों के लिए वाहनों को वर्गीकृत किया जा सके।
- डब्ल्यूपी-29 के अनुरूप अगले 5 वर्षों में मोटर वाहन मानकों को सुसंगत करना।
- कौशल विकास और पर्यावरण प्रशिक्षण में सुधार लाना, एएसडीसी की जवाबदेही को बढ़ाना तथा श्रम बाजार सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन।
- सशक्त लेखा परीक्षा नियंत्रण के साथ अनुसंधान एवं विकास व्यय के विभिन्न स्तरों पर कर छूट को बनाए रखना।
- वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नवाचारों के साथ स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को उचित अनुपात में बढ़ाना।
- आगामी 3 वर्षों में सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण भागों पर एआईएस और बीआईएस मानकों को समरूप करना।
- भारत न्यू व्हीकल्स सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम को तेजी से अपनाना।

****